न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 44/2017 एल.आर. एक्ट

रामेश्वर पुत्र मायादेवी उर्फ सगरणी पुत्री ख्याली पत्नी चेतराम जाति विश्नोई साकिन नाढोली तहसील भूना जिला फतेहबाद (हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

1. भतेरी पत्नी नरसीराम जाति विश्नोई साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राधेश्याम पुत्र नरसीराम जाति विश्नोई साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. हंसराज पुत्र सोहनलाल जाति विश्नोई साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. बनारसी पुत्री मायादेवी उर्फ सगरणी पुत्री ख्याली पत्नी चेतराम जाति विश्नोई साकिन नाढोली तहसील भूना जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
5. रविन्द्र पिसरान साधुराम पुत्र मायादेवी उर्फ सगरणी पुत्री ख्याली पत्नी चेतराम जाति विश्नोई साकिन नाढोली तहसील भूना जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
6. कुलदीप पिसरान साधुराम पुत्र मायादेवी उर्फ सगरणी पुत्री ख्याली पत्नी चेतराम जाति विश्नोई साकिन नाढोली तहसील भूना जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
7. सीतादेवी पुत्री साधुराम पुत्र मायादेवी उर्फ सगरणी पुत्री ख्याली पत्नी चेतराम जाति विश्नोई साकिन नाढोली तहसील भूना जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
8. शान्ति पत्नी साधुराम पुत्र मायादेवी उर्फ सगरणी पुत्री ख्याली पत्नी चेतराम जाति विश्नोई साकिन नाढोली तहसील भूना जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः

1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरिराम विश्नोई –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 08–10–2014 के विरूद्ध पेश हुई है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील का सार .. अपीलान्ट ने अपील इस आशय की पेश की, कि ख्यालीराम पुत्र गंगाबिशन निवासी नेठराना की गांव नेठराना एवं उसके चिपते ही गांव गुसाईयाना जो हरियाणा मे है, दोनो में अघोचार थी। ख्यालीराम के एक मात्र सन्तान लड़की सगरणी उर्फ मायादेवी वादी रामेश्वर की माता थी। सगरणी उर्फ मायादेवी की शादी चेतराम विश्नोई के साथ गांव नाढोली तहसील भूना मे हुई थी। सगरणी उर्फ मायादेवी के रामेश्वर एवं साधुराम दो पुत्र तथा एक पुत्री बनारसी पैदा हुए, उनमे साधुराम का देहान्त हो गया और उसके हक पर उसके दो पुत्र रविन्द्र, कुलदीप एव एक पुत्री सीतादेवी तथा उसकी विधवा शांति वारिसान मौजूद है। इस प्रकार ख्यालीराम अपीलान्ट रामेश्वर का नाना था। ख्यालीराम के एक मात्र सन्तान पुत्री सगरणी उर्फ मायादेवी थी। इसके अलावा उसका अन्य कोई वारिसान नही था। ख्यालीरामा की गाव नेठराना के चक नं. 12 बीआरडब्ल्यू में मु. नं. 89 के किला नं. 22,23,24 मु.नं. 90 के किला नं. 21 कुल 4 किला भूमि के नाम तथा चक नं. 1 बीआरडब्ल्यू मु. नं. 86 के किला नं. 6 ता 8, 11 ता 25 मु. नं. 87 किला नं. 3 ता 4, 6 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 मु. नं. 88 किला नं. 4,5,6,15,16 मु. नु. 89 किला नं. 1 ता 21, 25 मु. नं. 94 किला नं. 5 की कुल 54.08 किला भूमि अपने सगे भाई बेंगा पुत्र गंगाबिशन के साथ संयुक्त खाता की 544 हिस्सा यानि 27.04 किला कृषि भूमि थी। चुकि ख्यालीराम के अन्य कोई वारिसान नही था इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ख्यालीराम की भूमि हिस्से पर काश्त करवाते थे तथा आते जाते रहते थे। इसलिए ख्यालीराम व सगरणी उर्फ मायादेवी भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 पर विश्वास करती थी। तथा जब भी वह नेठराना आती एवं ख्यालीराम की भूमि की देखभाल करती एव उपज का हिस्सा भी प्राप्त करती थी तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 भूमि का हिस्सा सगरणी उर्फ मायादेवी व नाना ख्यालीराम को देते रहते थे। अपीलान्ट रामेश्वर के नाना ख्यालीराम का दिनांक 08.01.1993 को गांव गुसाईयाना मे देहान्त हो गया था। गत दिसम्बर, 2012 मे अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पास अपनी फसल की उपज का हिसाब लेने आये तथा भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आया तो रेस्पोडेन्ट 1 से 3 ने उन्हे कहा कि तुम्हारी यहां कोई भूमि नहीं है। ख्यालीराम की भूमि तो हमने नाम करवा ली है अब हम इस भूमि के मालिक है तुम्हे जो कुछ करना है करो, तब अपीलान्ट पटवारी हल्का से मिला तथा तहसील से भी जानकारी प्राप्त की तब जनवरी, 2013 में भूमि के रिकॉर्ड की नकले लेने का ज्ञान हुआ कि रेस्पोडेन्ट सं 1 से 3 ने आपराधिक षड़यन्त्र रचकर ख्यालीराम की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके छल कपट एवं कूटरचना

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पूर्वक एक फर्जी एवं कुटरचित वसीयतनामा दिनांक 20.10.1996 को तैयार करवा लिया जिसमें ख्यालीराम की 21.04 किला भूमि मे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 2 भतेरी व राधेश्याम 16.04 किला तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 हसंराज को 5 किला भूमि प्राप्त होना वसीयतनामा मे दर्ज करवाकर उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर अशुद्ध नामान्तरण संख्या 115 दिनांक 18.05.1993 अपने नाम दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 को यह भली भांति मालुम था कि तथाकथित वसीयत उन्होने फर्जकारी व कूटरचना कर निष्पादित कराई है इसलिए उन्होने ख्यालीराम का भूमि का जरिए वसीयत नामान्तरणकरण करवाते समय रेस्पोडेन्ट सं. 4 व पटवारी हल्का नेठराना से आपराधिक षडयन्त्र रचकर नामान्तरणकरण एक फर्जी नोट '' श्री ख्यालीराम फौत हो चुका है उसके पीछे पुत्र पुत्री विधवा कोई भी वारिस नही है'' हस्ता. नरेन्द्र पटवारी। का दर्ज करवाया और उक्त नामान्तरण करते समय उसमे दस्तबरदारी से भूमि का नामान्तरण किया फिर उस पर कूटरचना करते हुए वसीयत दर्ज किया गया है और उक्त इन्तकाल दर्ज व तस्दीक करते समय भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को नियमानुसार न तो कोई नोटिस दिया गया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया ना ही मजमा आम मे इसकी सूचना दी। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण कतई फर्जी होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रक्रिया नही अपनाई गई ना ही प्रकाशन करवाया गया ना ही विज्ञप्ति जारी हुई, ना ही अखबार में चस्पा करवाया, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया इस कारण आदेश विरासतन ईन्तकाल निरस्त योग्य है। ख्यालीराम की संयुक्त खाते की भूमि थी जिसका ना ही कोई हस्तान्तरण हो सकता था ना ही वसीयत हो सकती थी। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो आदेश को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया हे।

3. मियाद दरख्वास्त मे अपील पेश करने में हुवे 22 दिन विलम्ब का कारण अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की गैर हाजिरी मे जारी होना तथा नकल लेने मे व्यतीत समय को बताया गया है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्ट के वकील की निर्णय दिनांक तक उपस्थिति दर्शायी गई है। नकल लेने के लिये 2 माह का समय पर्याप्त होता है। अपीलांट ने 22 दिन के विलम्ब का दिन प्रति दिन का संतोष जनक कारण नही बताया है इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत कानूनी नजीर चस्पा नही होती। अतः मियाद दरख्वास्त खारिज की जाती है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट का तर्क है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची – I मे उल्लेखित वारिसो के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपलब्ध न होने पर सक्षम न्यायालय से वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाकर ही नामांतरकरण स्वीकृत करना चाहिये। यह स्थिति वारिसो के मध्य तत्कालीन विवाद की स्थिति मे आती है। विचाराधीन प्रकरण मे नामांतरकरण स्वीकृत होने की तिथि को ऐसा कोई विवाद नही था। अतः उपलब्ध वसीयत तथा वारिसो के मद्देनजर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है।

अपीलान्ट का तर्क है कि वसीयत प्रमाणित नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही थी तथा साथ ही कह रहे है कि इंतकाल विरासत का मानकर खोला गया था। अपीलांट का उक्त कथन विरोधाभाषी है। वसीयत पंजीकृत होने तथा लागू होने की तिथि को विवादित न होने के कारण इसे सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करवाने का कोई नियम नही था। अपीलान्ट का तर्क है कि निर्वसीयत फौत हुये खातेदारो के उत्तराधिकार के मामले में व्यक्तिगत कानून हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नामांतरकरण केवल वारिसो के नाम से ही स्वीकृत होना चाहिये। विचाराधीन मामले मे ख्यालीराम निर्वसीयत फौत नही हुआ। अतः यह तर्क असंगत है।

रेस्पोडेन्ट के वकील का तर्क है कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामातरकरण की प्रथम अपील न्यायालय मे 20 साल बाद अपील करना, वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा विधि सम्मत धोषित करने, नामांतरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरूद्व दर्ज प्रकरण मे दस्तावेजो को विधि सम्मत मान लेने के उपरान्त द्वितीय अपील मे उठाये गये सवालो को सारहीन बताया।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतरकरण पंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया था। उक्त वसीयत को सक्षम न्यायालय द्वारा विधि सम्मत मान लिया गया है। वसीयत की लिखावट तथा नामांतरकरण आदेश मे ख्यालीराम के वारिसो में माया देवी का कहीं उल्लेख नहीं है इसके अलावा भी उस समय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है जिसके आधार पर माया देवी उर्फ सगरणी को ख्यालीराम की पुत्री साबित करता हो। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सन् 2013 या इसके बाद पश्चातवर्ती सोच के तहत तैयार किये गये है। उक्त समस्त दस्तावेज अपीलांट के कथनो का समर्थन नही कर पा रहे है।

अतः अपील मियाद बाहर तथा सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर